भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1543
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ सुरक्षा बलों को संसाधनों की कमी

1543. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) आवश्यक संसाधनों और आधुनिक उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं;
(ख) क्या उक्त बलों के कर्मी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जिससे उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है; और
(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त बलों की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) जी, नहीं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) [असम राइफल्स (एआर), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)] अपनी आवश्यकता के अनुसार नियमित आधार पर अपने बलों को आवश्यक संसाधन एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर रहे हैं ।

(ख) और (ग): यद्यपि, सीएपीएफ कार्मिकों को अत्यधिक ऊंचाई, पहाड़ी, घने जंगलों, खराब मौसम की स्थिति वाले दूरदराज के क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा कर्तव्यों के लिए, राज्य प्रशासन की सहायता के लिए आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा देश भर में औद्योगिक उपक्रमों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं दुर्गम परिस्थितियों में तैनात किया जाता है, जिसके लिए सरकार हमेशा विभिन्न उपायों के माध्यम से सीएपीएफ कार्मिकों की दक्षता बढ़ाने का प्रयास करती हैं। बलों के कार्मिकों को तैनाती के स्थान के अनुसार पर्याप्त नवीनतम तकनीकी उपकरण, विशेष कपड़े एवं खाद्य पदार्थ, आवासीय क्वार्टर, पृथक पारिवारिक आवास तथा बैरक प्रदान किए जाते हैं ताकि आवास संतुष्टि में सुधार हो सके, जो सैनिकों को उनके कामकाज को

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 1543, दिनांक 29.07.2025

अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में सहायता करता है। इसके अलावा, सीएपीएफ द्वारा अपने कार्मिकों को बेहतर कार्य स्थितियां/वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

1) कार्मिकों की गतिविधियों और मानसिक स्वास्थ्य की उचित स्तर पर निगरानी की जा रही है और यदि कोई शिकायत हैं, तो उनका शीघ्र निवारण किया जा रहा है।

2) फील्ड क्षेत्रों से आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टरों द्वारा तत्काल निकासी की व्यवस्था की गई है।

3) बल कार्मिकों में तनाव के स्तर को कम करने और उन्हें वित्तीय/अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

4) कार्मिकों के छुट्टी से लौटने/स्थानांतरण पर रिपोर्ट करने आदि पर संबंधित कंपनी कमांडर/यूनिट कमांडेंट द्वारा कार्मिकों का साक्षात्कार लिया जा रहा है और उनसे परामर्श किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें कोई घरेलू समस्या है और यदि कोई समस्या है तो उसे सुलझाने में यथासंभव उनकी सहायता की जा सके।

5) फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत कार्मिकों की गतिविधियों और मानसिक स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उनका समाधान किया जा सके।

6) चौकियों और लाइंस आदि के नियमित दौरों के दौरान, अधिकारियों द्वारा सैनिकों के साथ अनौपचारिक बातचीत, उनके साथ खेलों में भागीदारी और उनके परिवार के कल्याण के संबंध में पूछताछ की जाती है।

7) अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्मिकों को अपनी समस्याओं/शिकायतों को बताने के लिए प्रोत्साहित करें तथा सैनिकों के लाभ के लिए मनोरंजक गतिविधियों हेतु उचित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करें।

8) कार्मिकों की कार्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं में सुधार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार द्वारा विभिन्न भत्ते जैसे जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, अतिरिक्त मुफ्त रेलवे वारंट/छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), कश्मीर घाटी में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को वाई श्रेणी शहर (16%) की दर से अतिरिक्त मकान किराया भत्ता (एचआरए), जम्मू और कश्मीर में तैनात गैर-पात्र सीएपीएफ कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा, पोशाक भत्ता, अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास के लिए मुआवजे का प्रावधान, समग्र कार्मिक रखरखाव भत्ता, सीएपीएफ कार्मिकों को शिक्षा रियायत आदि भी प्रदान किए हैं।

इसके अलावा, सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (कार्यान्वयन अवधि 01.01.2022 से 31.03.2026) को कार्यान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य हथियार, संचार, सुरक्षात्मक गियर, निगरानी एवं सीमा सुरक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण सामग्री, बख्तरबंद वाहनों तथा विशेष परिवहन वाहनों के मामले में नवीनतम और अत्याधुनिक उपकरणों को शामिल करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर प्रत्येक सीएपीएफ की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार करना है।

******